

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

जनपद टिहरी के जौनपुर
विकास खण्ड में फुलेत
क्यारा मोटर मार्ग के
:- कि०मी० 5.000 (भगद्वारी
खाल) से भूत्सी मोटर
मार्ग

:- उत्तराखण्ड

:- नईटिहरी

:- टिहरी वन प्रभाग टिहरी

:- 29475 रु०

:- सिविल सोयम भूमि

$$\vdash$$

:- सिविल एन इंजीनियरिंग

$$\vdash$$

∴ संलग्न है।

∴ सत्य है।

:- પૃથ્ઠ નં- 68 અને 69 માં સંભાળ

-

1-

1.

•

अगभग-700मीटर

कोई नहीं

जोड़ नहीं

4/11

12. क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :- **नहीं**
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :- **नहीं**
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे :- **कोई नहीं**
13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) :- **नहीं**
14. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :-
- (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए :- **न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।**
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश कि :-
15. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :-
- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) :- **नहीं**
- (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए :- **नहीं**
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) :- **नहीं**
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) :- **नहीं**
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। :- **संलग्न है।**
- (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :- **13.54 लाख**
- (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। :- **संलग्न है।**
17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। :- **संलग्न है।**
18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों :- **वन भूमि हस्तान्तरण प्रमाण पत्र की दस्तावेज की जाती है**

दिनांक 16/01/2017
स्थान मुक्तिमोहरी

हस्ताक्षर **प्रभागीय वनाधिकारी**
नाम **वरेन्द्रनगर वन प्रभाव**
मुनि-की-रेती
सरकारी मोहर